

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलार्ड, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 मार्च 2017— फाल्गुन 17, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-2/2017/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

शीर्षक “छत्तीस-समाज कल्याण विभाग” के अन्तर्गत भाग (अ) में, सरल क्रमांक 14 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

15. “योग”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्र, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-2/2017/एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2017/एक (1), दिनांक 08-03-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

Naya Raipur, the 8th March 2017

NOTIFICATION

No. F 1-2/2017/One (1). — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

Under the heading “XXVI-Social Welfare Department”, in Part (A), after serial number 14, the following shall be added, namely :-

15. “Yoga”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBER, Secretary.